



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**नव उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति
के संबंध में सूचना ।**

विज्ञप्ति संख्या - 61/2012

विज्ञप्ति संख्या 93/2011 के क्रम में एतद् द्वारा नव उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले वैसे विकलांग अभ्यर्थियों जो नेत्रहीन या शारीरिक रूप से विकलांग या Spastic है, को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्न शर्तों के अधीन श्रुतिलेखक(Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा:-

- (1) अभ्यर्थी को सिविल सर्जन/जिला असैनिक शल्य चिकित्सक से विकलांगता का प्रमाण-पत्र एवं अभ्यावेदन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।
- (2) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमाणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर इंटरमीडिएट स्तर में अध्ययनरत अभ्यर्थी को श्रुतिलेखन हेतु उनके योग्यता की जाँच कर नियुक्त करेंगे और उनका अनुमोदन परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-

(सुशील कुमार राय)
सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ।

JAC/उ.मा.वि./शि.नि./10165/11/
SECY/339/12 Dt.: 11.08.2012
D.O.P : 12.08.2012